# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 45 सन 2021

अनवान :–

1. हरीकिशन पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन लखुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा हाल आवाद बास नाथेवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

**बनाम**

1. कृष्णादेवी पत्नी नरसीराम जाति जाट साकिन लखुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा
2. संजय पुत्र नरसीराम जाति जाट साकिन लखुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा
3. सोनू पुत्री नरसीराम जाति जाट साकिन लखुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा
4. कविता पत्नी चेतराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. दलीपसिह पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. पृथ्वीसिह पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. विकास पुत्र मोतीराम जाति जाट साकिन लखुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा
8. श्योकरण पुत्र लिछमण जाति जाट साकिन लखुआना तहसील डबवाली जिला सिरसा
9. शान्ति पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन डुमासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

**गैर सायलान**

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता सायल

**निर्णय दिनांक :–** 18/07/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मोजा बास नाथेवाला के खाता संख्या 21/22 की कुल 15.4160हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1 का 1/18 हिस्सा, गैरसायला संख्या 2 का 1/72 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3 का 1/72 हिस्सा, गैरसायल संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, गैरसायला संख्या 5 का 1/18 हिस्सा, गैरसायल संख्या 6 का 1/18 हिस्सा गैरसायल संख्या 7 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 8 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 9 का 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल एवं गैरसायल ने विवादित भूमि का काफी वर्षो से बाहमी बटवारा किया हुआ है मुताबिक बाहमी बटवारा ही काश्त करते आ रहे है जिसमें अपनी बटवारा में प्राप्त भूमि की सीव डोल कायम कर रखी है लेकिन विवादित भूमि का खाता मुश्तरका रहने से लगान काश्त सीव का झगडा रहता है इसलिये सायल अपनी बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

सायल अपनी बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को लगातार काश्त कर रहा है उसके बावजूद गैरसायल संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी आ गई है और वह अपने हक व हिस्सा की भूमि का रहन बैय करने पर उतारू है जिससे भूमाफिया लोग सायल के कब्जा काश्त में दखल कर सकते है गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायलान को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा बास नाथेवाला के खाता संख्या 21/22 की कुल 15.4160हैक भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुंतकिल नही करे रिकार्ड एव मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान 1 ता 3 ,7, 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वाद में वादी के वाद का स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा गैरसायल संख्या 4 ता .6, 9 का जवाब प्रार्थना पत्र में पेश नही हुआ है किन्तु अधिवक्ता उपस्थित रहे।

प्रकरण में वाद में बहस के दौरान प्रार्थना पत्र की भी बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया रोही मोजा बास नाथेवाला के खाता संख्या 21/22 की कुल 15.4160हैक भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें सायला का 1/4 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1 का 1/18 हिस्सा गैरसायला संख्या 2 का 1/72 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3 का 1/72 हिस्सा, गैरसायल



Scanned with CamScanner

संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, गैरसायला संख्या 5 का 1/18 हिस्सा, गैरसायल संख्या 6 का 1/18 हिस्सा गैरसायल संख्या 7 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 8 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 9 का 1/18 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल एवं गैरसायल ने विवादित भूमि का काफी वर्षो से बाहमी बटवारा किया हुआ है मुताबिक बाहमी बटवारा ही काश्त करते आ रहे है जिसमें अपनी बटवारा में प्राप्त भूमि की सीव डोल कायम कर रखी है लेकिन विवादित भूमि का खाता मुश्तरका रहने से लगान काश्त सीव का झगडा रहता है इसलिये सायल अपनी बाहमी बटवारा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

सायल अपनी बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को लगातार काश्त कर रहा है उसके बावजूद गैरसायल संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी आ गई है और वह अपने हक व हिस्सा की भूमि का रहन बैय करने पर उतारू है जिससे भूमाफिया लोग सायल के कब्जा काश्त में दखल कर सकते है गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गेरसायलान को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

गैरसायलान संख्या 1 ता 3, 7, 8 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वाद भूमि मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थना पत्र से सम्बधित वाद में इकबाल प्रस्तुत किया जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया जा चुका है इसलिये प्रार्थना चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाकर प्रार्थना पत्र में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सयुक्त खाते के काश्तकार किसप्रकार से वाद भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मोजा बारा नाथेवाला के खाता संख्या 21/22 की कुल 15.4160हैक भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ता 9 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

सायला का कथन है कि उसके द्वारा वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि को मेहनत /पेशा खर्च कर उपजाउ बनाया गया है जिसे गैरसायल बेचान करने पर उतारू है तथा गैरसायलान का कथन है कि सहकाश्तकारों को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है तथा वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया जा चुका है।

सायला एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 9 दोनो के ही कथन स्वीकार योग्य नही है यह सही है कि वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका खाता विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

सायला का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर सायल एवं गैरसायलान दोनो पक्षों को पाबन्द किया गया था कि वाद भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान नही करे सायल एवं गैरसायलान को अपने हक हिस्सा की भूमि बेचान करने के लिये पाबन्द नही किया गया है।

न्यायालय में सायल के द्वारा प्रस्तुत किया गया खाता विभाजन का वाद विचाराधीन था जिसमे प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन उभयपक्षो के द्वारा किया जा चुका है वादी एव प्रतिवादीगण के निवेदन एव साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद में निर्णय/कार्यवाही होगी तब तक उभयपक्षों को वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करने हेतु पाबन्द रखा जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उभयपक्षों में सामान रूप से साबित/पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.04.2021 को ताफैसला कन्फर्म किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष ( सायल एवं गैरसालान ) वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान ताफैसला दावा नही करे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर( हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner